भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3264
दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थी

3264. श्री इमरान मसूद:
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
श्री आशीष दुबे:
श्री राहुल सिंह लोधी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2019 से प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत/लंबित आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ख) आधार प्रमाणीकरण की विफलता, बैंक खाता लिंक करने संबंधी समस्याओं, मोबाइल नंबर सत्यापन संबंधी समस्याओं और अन्य तकनीकी कारणों से अस्वीकृत आवेदनों/रोके गए लाभों की वर्ष 2019 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त अवधि के दौरान पीएमएमवीवाई के तहत तकनीकी कारणों से दर्ज की गई भुगतान विफलताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने तकनीकी कारणों से पात्र लाभार्थियों के पीएमएमवीवाई से वंचित रहने के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) तकनीकी/डिजिटल विफलताओं के कारण पात्र लाभार्थियों को पीएमएमवीवाई के लाभों से वंचित न किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या प्रशासनिक/सत्यापन संबंधी बाधाओं के कारण राज्यों को आबंटित निधि अप्रयुक्त रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का कार्यान्वयन 01.04.2023 से पुराने सॉफ्टवेयर (PMMVY-CAS) से नए सिस्टम (PMMVYSoft) में स्थानांतरित कर दिया गया था। 01.04.2023 से 05.08.2026 तक प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

जिन लाभार्थियों के नाम पीएमएमवीवाई पोर्टल पर दर्ज किए गए हैं, लेकिन आधार संख्या की एनपीसीआई से मैपिंग न होने के कारण या आधार का प्रमाणीकरण न होने के कारण उन्हें इस योजना के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी संख्या **अनुलग्नक II** में दी गई है।

पीएमएमवीवाई के अंतर्गत आवेदन निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अस्वीकृत किए जा सकते हैं:

- योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र न होना
- अपलोड किए गए दस्तावेज़ (एमसीएच/आरसीएच कार्ड या पात्रता दस्तावेज़) सही न होना
- पीएमएमवीवाई के अंतर्गत पहले ही पूरा लाभ प्राप्त कर लिया हो

हाल ही में, भारत सरकार ने भुगतान विफलताओं को कम करने, पात्र लाभार्थियों को वंचित होने से रोकने और तकनीकी कारणों या डिजिटल विफलताओं की वजह से पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों को लाभों से वंचित न होने को सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:

I. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पूरी तरह से कागज रहित पोर्टल शुरू किया गया था। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ में आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।

II. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार

कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।

III. तीव्र प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य शर्तों की जांच की जाती है।

IV. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।

V. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु और स्थिति का पता लगाने के लिए एक मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।

VI. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, पंजीकरण की अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

VII. पीएमएमवीवाई पोर्टल आंगनवाड़ी केंद्र स्तर तक एलजीडी अनुपालन योग्य है। राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर तक एलजीडी सीडिंग शुरू की गई है।

VIII. ओपन एपीआई में अन्य केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रालयों/विभागों के साथ डेटा साझा करने की स्वतंत्रता है।

IX. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/ सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

X. पीएमएमवीवाई का उपयोग, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा डेटा-केंद्रित संचालन और रिपोर्ट देखने के लिए किया जाएगा।

XI. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, योजना के दायरे को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय आवधिक आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाता है। क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा कई प्रकार की सूचना, शिक्षा और संचार तथा व्यवहार परिवर्तन कार्यकलाप अर्थात प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिगल्स का प्रसारण, सेल्फी अभियान, घर-घर जाकर प्रचार, और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधि का आवंटन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के एकल नोडल एजेंसी या एसएनए स्पर्श के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, पीएमएमवीवाई योजना को अब एसएनए-स्पर्श तंत्र से जोड़ (onboard) दिया गया है, जिसके तहत निधि "जस्ट-इन-टाइम" रूप-रेखा के अंतर्गत जारी की जाती है।

योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और इसकी निगरानी जिसमें निधियों का उपयोग भी शामिल है, के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र मौजूद है। इसके अलावा, मंत्रालय ने उपयोगिता प्रमाण पत्र और व्यय विवरण प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट पोर्टल भी बनाया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधियों के उपयोग की प्रभावी निगरानी के लिए सभी उपयोग और व्यय विवरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ बैठकों/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित योजनाओं के कार्यान्वयन की भी निगरानी करता है।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लंबित मामलों के निपटान की नियमित निगरानी की जा रही है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लंबित मामलों के निपटान की निगरानी की जाती है। मंत्रालय ने पीएमएमवीवाई पोर्टल पर 'ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस' मॉड्यूल और 'इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल' मॉड्यूल भी शुरू किया है, जिससे जवाबदेही बढ़ी है और भुगतान जल्दी हो रहा है।

अनुलग्नक-I

'पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3264 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमएमवीवाई के तहत आवेदित की गई, स्वीकृत और अस्वीकृत की गई किश्तें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2024-25		
		आवेदित की गई	स्वीकृत की गई^	अस्वीकृत की गई	आवेदित की गई	स्वीकृत की गई^	अस्वीकृत की गई
	कुल	**75,27,732**	**32,67,223**	**1,50,056**	**70,58,576**	**83,37,282**	**12,17,835**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,363	945	291	1,681	2,011	495
2	आंध्र प्रदेश	3,08,436	1,83,230	1,251	2,29,126	2,61,854	57,070
3	अरुणाचल प्रदेश	7,515	1,896	965	5,293	5,146	2,585
4	असम	4,10,920	2,06,510	13,410	3,47,832	4,31,314	62,467
5	बिहार	5,77,157	1,45,433	73,404	10,30,937	9,83,062	3,38,496
6	चंडीगढ़	5,489	3,467	39	4,832	5,457	362
7	छत्तीसगढ़	2,44,857	1,19,211	2,325	2,84,506	3,28,314	33,439
8	दिल्ली	1,38,166	53,396	2,654	1,22,188	1,50,997	12,763
9	गोवा	8,779	1,683	474	4,864	7,705	2,853
10	गुजरात	4,55,206	1,81,251	4,877	3,11,383	4,59,477	51,520
11	हरियाणा	1,61,314	19,188	1,725	1,74,759	2,62,698	12,132
12	हिमाचल प्रदेश	68,571	9,919	999	60,268	99,677	9,594
13	जम्मू और कश्मीर	1,13,411	14,793	1,918	1,21,125	1,83,102	13,274
14	झारखंड	1,82,402	88,880	2,229	1,52,974	2,02,043	14,822
15	कर्नाटक	5,70,626	2,63,111	2,346	6,19,912	8,08,341	65,384
16	केरल	2,18,698	98,737	4,422	1,65,366	2,14,485	26,586
17	लद्दाख	2,074	2,061	1	2,676	2,735	31
18	लक्षद्वीप	1,655	930	3	931	1,523	169
19	मध्य प्रदेश	8,85,821	4,32,512	3,097	7,84,531	10,89,203	46,961
20	महाराष्ट्र	5,38,949	1,39,869	8,648	7,17,135	9,61,999	73,212

21	मणिपुर	18,002	14,224	86	27,213	23,122	6,862
22	मेघालय	12,970	5,035	949	26,056	25,498	5,138
23	मिजोरम	8,987	5,316	220	9,153	10,029	1,344
24	नागालैंड	9,054	4,313	1,030	13,723	13,066	1,624
25	पुदुच्चेरी	10,033	4,837	1,375	6,784	8,355	166
26	पंजाब	1,83,303	1,08,250	1,526	1,65,250	1,92,589	16,960
27	राजस्थान	6,00,402	2,27,258	8,631	5,56,946	7,53,533	52,002
28	सिक्किम	11,383	894	203	4,313	5,223	8,553
29	तमिलनाडु	2,04,039	1,34,597	190	4,26,141	1,12,470	51
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	4,139	2,954	7	4,872	6,065	275
31	त्रिपुरा	27,017	15,985	702	29,559	34,262	2,332
32	उत्तर प्रदेश	8,58,418	3,87,242	6,257	2,85,286	4,31,442	2,66,545
33	उत्तराखंड	95,857	59,779	965	1,15,077	1,12,184	18,640
34	पश्चिम बंगाल	5,81,719	3,29,517	2,837	2,45,884	1,48,301	13,128

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2025-26			वित्तीय वर्ष 2026-27 (05.08.26 तक)		
		आवेदित की गई	अनुमोदित की गई^	अस्वीकृत की गई	आवेदित की गई	अनुमोदित की गई^	अस्वीकृत की गई
	कुल	**75,95,187**	**68,78,987**	**4,16,715**	**37,12,175**	**41,73,572**	**1,32,283**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,193	2,219	39	1,073	982	4
2	आंध्र प्रदेश	2,47,481	1,59,343	29,834	2,48,754	3,03,660	7,945
3	अरुणाचल प्रदेश	6,428	7,083	797	2,383	2,687	54
4	असम	2,94,974	2,64,856	13,722	1,14,948	85,653	3,823
5	बिहार	7,50,374	6,51,511	75,564	2,40,104	1,35,593	18,440
6	चंडीगढ़	8,624	8,435	463	2,936	3,097	112
7	छत्तीसगढ़	3,50,565	3,55,209	14,314	1,54,287	1,65,982	3,774
8	दिल्ली	1,52,690	1,31,147	12,678	46,986	64,900	1,550
9	गोवा	7,432	5,353	158	3,870	5,648	98
10	गुजरात	3,47,540	2,85,971	13,755	1,49,892	1,99,259	5,285
11	हरियाणा	2,07,702	1,91,709	5,943	70,030	69,003	1,678
12	हिमाचल प्रदेश	69,581	60,403	4,566	31,759	35,841	1,318
13	जम्मू और कश्मीर	1,44,436	1,33,559	14,902	55,571	56,717	2,864
14	झारखंड	2,10,339	2,02,587	12,124	1,79,222	1,92,761	6,044
15	कर्नाटक	5,97,494	5,60,741	21,175	2,86,441	3,16,105	3,303
16	केरल	2,02,628	2,08,317	10,742	80,850	72,715	2,808
17	लद्दाख	2,379	2,542	6	807	845	5
18	लक्षद्वीप	734	549	6	308	458	3
19	मध्य प्रदेश	10,01,316	9,82,594	24,529	5,46,698	5,48,978	9,686
20	महाराष्ट्र	5,52,529	4,93,331	38,466	3,47,835	3,90,641	10,798
21	मणिपुर	19,164	17,906	661	7,425	3,435	175
22	मेघालय	18,780	17,314	899	8,138	7,243	119
23	मिजोरम	10,745	9,763	466	4,572	5,147	130
24	नागालैंड	10,237	10,427	845	5,203	3,927	274
25	ओडिशा*	2,93,404	1,50,581	12	73,352	1,92,642	3
26	पुदुच्चेरी	9,199	8,489	57	3,864	5,220	17
27	पंजाब	1,75,290	1,62,792	5,883	57,872	54,165	1,328
28	राजस्थान	6,08,579	5,79,698	26,379	2,94,221	3,06,754	6,786
29	सिक्किम	2,160	2,105	136	1,954	1,424	26
30	तमिलनाडु	2,52,078	3,19,580	-	2,945	2,21,594	-
31	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	6,613	6,027	797	2,458	2,395	40
32	त्रिपुरा	31,560	29,784	2,396	11,813	12,429	687
33	उत्तर प्रदेश	8,45,720	6,73,858	74,346	6,20,094	6,41,302	41,931
34	उत्तराखंड	98,748	97,419	3,656	40,643	44,501	560
35	पश्चिम बंगाल	55,471	85,785	6,399	12,867	19,869	615

^ इसमें पिछले साल (सालों) में आवेदित किश्तें भी शामिल हो सकती हैं।

* ओडिशा राज्य सरकार ने वित्तीय 2025-26 के दौरान अपने राज्य में पीएमएमवीवाई को कार्यान्वित करना शुरू किया।

अनुलग्नक-II

'पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभार्थी' के संबंध में 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3264 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमएमवीवाई पोर्टल में दर्ज लाभार्थी, जिन्हें एनपीसीआई के साथ आधार संख्या की मैपिंग न होने या आधार प्रमाणीकरण न होने के कारण मातृत्व लाभ नहीं मिला।

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आधार संख्या एनपीसीआई के साथ मैप नहीं हुई**	**बायोमेट्रिक्स (चेहरा) यूआईडीएआई से प्रमाणित नहीं हुआ**
	कुल	**6,13,633**	**5,29,554**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	62	36
2	आंध्र प्रदेश	40,796	12,249
3	अरुणाचल प्रदेश	661	627
4	असम	29,579	27,488
5	बिहार	76,794	84,784
6	चंडीगढ़	103	67
7	छत्तीसगढ़	5,912	5,827
8	दिल्ली	6,219	6,094
9	गोवा	159	163
10	गुजरात	93,572	60,108
11	हरियाणा	7,558	9,399
12	हिमाचल प्रदेश	1,217	1,497
13	जम्मू और कश्मीर	1,576	1,958
14	झारखंड	12,132	20,132
15	कर्नाटक	23,296	15,199
16	केरल	10,472	5,138
17	लद्दाख	179	182
18	लक्षद्वीप	16	6
19	मध्य प्रदेश	27,144	26,362
20	महाराष्ट्र	46,418	33,054
21	मणिपुर	761	865
22	मेघालय	1,959	2,125
23	मिजोरम	514	489
24	नागालैंड	1,007	855
25	ओडिशा	-	-
26	पुदुच्चेरी	928	437
27	पंजाब	7,857	11,352
28	राजस्थान	49,208	40,525

29	सिक्किम	689	428
30	तमिलनाडु	5,481	48,896
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	232	84
32	त्रिपुरा	1,891	1,091
33	उत्तर प्रदेश	1,41,474	85,001
34	उत्तराखंड	2,691	3,340
35	पश्चिम बंगाल	15,076	23,696

नोट: क्योंकि किसी भी साल में दर्ज किया गया लाभार्थी ऊपर दी गई सूची से बाहर हो सकता है (उस समय जब उसका आधार एनपीसीआई के साथ मैप हो जाता है/यूआईडीएआई के साथ सफल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद), इसलिए वर्ष-वार सूची नहीं रखी जाती है।
